न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 188/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00272

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
महेन्दसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति पुरोहित निवासी ढारिया तहसील रानी जिला पाली		1. कमलसिंह पुत्र सुखदेवसिंह पुरोहित निवासी ढांरिया तहसील रानी जिला पाली 2. राजुसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति पुरोहित निवासी निवासी ढारिया तहसील रानी जिला पाली 3. ग्राम पंचायत ढारिया जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.8.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा मिसल संख्या 160/2001–02 संकल्प संख्या 4 दिनांक 17.12.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख को निरस्त कराने बाबत पेश की है। निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली के वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौजा ढारिया के खसरा नम्बर 371 रकबा 5.1100 हैक्टर, किस्म गैर मुमकीन गौचर भूमि के करीब 0.3200 हैक्टर भूमि पर पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थी का कब्जा काश्त है जो एक बाडा के रूप में स्थित है एवं उसकी तारबन्दी की हुई है। जिसमें प्रार्थी ने तिल की फसल उगा रखी है। ग्राम पंचायत ने उक्त खसरे की गैर मुमकीन गौचर की भूमि जो उनकी नजूल भूमि नहीं थी तथा न ही नियम 140 के तहत राज्य सरकार के किसी आदेश के तहत उक्त भूमि ग्राम पंचायत में निहीत थी, पर अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जैर निगरानी पट्टे के लिये ग्राम पंचायत ढारिया के समक्ष कब्जा सुद भूमि का पट्टा बनाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें दिनांक तथा प्रस्तावित भूमि की पहचान अंकित नहीं थी। जिस पर ग्राम पंचायत ने नियम 145 (2) व (3) की विधिवत पालना नहीं कर सीधे ही मिसल कायम कर दी। नियम 146 (2) के तहत किन तीन पंचो को मौका निरीक्षण एवं नक्शा बनाने हेतु नियुक्त किया एवं इन्होने किस भूमि का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, स्पष्ट नहीं है। मिसल में प्रथम आदेशिका में पंचायत में जीवन्दकलां शब्द लिखा गया है जिससे प्रकट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जीवन्दकलां से लायी गई आज्ञाओं की सूची में ही सारी कार्यवाही की गयी है। निगरानी के साथ प्रस्तुत मिसल संख्या 159/2001–02 तथा अन्य मिसल संख्या

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

160/2001–02 की आदेशिकाओ पहले से साईक्लोस्टाईल रूप से एक ही दिन में एक ही पेन से लिखी गई है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 (1) के तहत आपत्तियां मागने का सूचना पत्र निर्धारित प्रपत्र 22 में जारी किया जाना चाहिये परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रपत्र नियम 260 के तहत जारी किया गया जबकि नियम 260 के तहत आपतिया मांगने का सूचना पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नियम 150 से 152 की पालना नहीं कर नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की पालना नहीं करते हुये नियम 157 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में 9600 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जब कि मौके पर अप्रार्थी का कोई पैतृक पुश्तैनी कच्चा/पक्का मकान स्थित नहीं था। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 2020 (1) DNJ (Raj) page 201, 2017 (2) DNJ (Raj) page 668, 2012 (2) RRT 1265, 2003 (1) RRT 174, 2000 (2) RCR 39 पेश कर जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा मिसल संख्या 160/2001–02 संकल्प दिनांक 17.12.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख को निरस्त कराने बाबत पेश की है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत ढारिया के समक्ष अपने कब्जा सुद भूमि का पट्टा बनाने बाबत् दिनांक का अंकन किये बिना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 30.03.02 को मिसल कायम की जाकर तीन पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया जाने एवं नापकर नक्शा बनाये जाने के आदेश पारित किये गये किन्तु राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 (2) के तहत स्थल निरीक्षण हेतु किन तीन पंचों को नियुक्त किया है, अंकित नहीं है। आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र में भूमि के क्षेत्रफल का अंकन नहीं है एवं मिसल के संलग्न जो नक्शा तैयार किया गया है, उस पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। आज्ञा दिनांक 22.05.02 द्वारा राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार नियम 148 के तहत आपत्ति ईश्तहार हेतु प्ररूप 22 में एक नोटिस का प्रकाशन किया जाता है परन्तु ग्राम पंचायत ने नियम 260 फार्म सं. 50 में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र जारी कर दिया, जिस पर भी पंचायत की मोहर नहीं लगी है। नोटिस की पुश्त पर अंकित नाम की वल्दियति के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। मिसल के संलग्न एक ही बयान फार्म है जिस पर भी दिनांक का अंकन नहीं है और न ही बयानकर्ता के निवास स्थान का अंकन है। जिससे ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने अवैधानिक तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसे बदस्तूर रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि आज्ञाओं की सूची में पंचायत का नाम जीवन्दकंला अंकित है जबकि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का नाम ढारिया है। साथ ही वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफस के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौके पर कोई निर्माण नहीं है और न ही मिसल के संलग्न ऐसे कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अप्रार्थी संख्ख्या 1 व 2 नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा प्राप्त करने की योग्यता रखते है। जिससे यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने गलत तथ्यों के आधार पर पंचायत नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

उपरोक्त विवेचन अनुसार यह पाया जाता है अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष कब्जा सुद भूमि का पट्टा बनाने हेतु बिना दिनांक का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मिसल कायम की गयी। स्थल निरीक्षण हेतु किन तीन पंचों को नियुक्त किया है, का नाम मिसल में अंकित नहीं है, न ही नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है। जैर निगरानी भूखण्ड पर आवदेनकर्ता के कब्जा सत्यापन हेतु केवल एक बयान फार्म ही मिसल के संलग्न है। इसके अतिरिक्त आज्ञाओं की सूची में पंचायत का नाम जीवन्दकंला अंकित है जबकि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का नाम ढारिया है। अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नहीं की गई है। जिसके कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ढारिया द्वारा मिसल संख्या 160/2001–02 संकल्प संख्या 4 दिनांक 17.12.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29/8/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)